सं-ई-11011/27/2019/हिंदी (रा.भा.का.स.)/230

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग

केन्द्रीय जल आयोग

906(द.), सेवा भवन
रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली - 66

दिनांक: 19 अक्तूबर, 2020

विषय: अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 29 सितंबर, 2020 को आयोजित 141वीं बैठक का कार्यवृत्त और इसमें लिए गए निर्णयों पर समयबद्ध अनुवर्ती कार्रवाई करने के संबंध में। (Minutes of the 141th Meeting of Official Language Implementation Committee of Central Water Commission (Headquarters) held on 29 September, 2020 and time-bound action on decisions taken therein-reg.)

महोदय/महोदया,

अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में दिनांक 29 सितंबर, 2020 को अपराहन 03.00 बजे आयोजित केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 141वीं बैठक का कार्यवृत्त आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

अनुरोध है कि उक्त बैठक में लिए गए निर्णयों पर तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाए और की गई कार्रवाई से हिंदी अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) को अवगत करवाया जाए।

<u>**संलग्नक**</u> : यथोक्त

भवदीया,

19/10/2020

(रजिन्दर पाल)
उप निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष सं: 29583720

1. समिति के सभी सदस्य (सूची के अनुसार)।
2. सभी मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय जल आयोग।
3. सभी समन्वय निदेशालय/ अनुभाग अधिकारी, केन्द्रीय जल आयोग।

केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 29.09.2020 को अपराहन 03.00 बजे आयोजित 141वीं बैठक का कार्यवृत्त।

अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में, केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 141वीं बैठक दिनांक 29.09.2020 को अपराहन 03.00 बजे आयोजित की गई। मंत्रालय में अति तत्काल बैठक बुलाए जाने के कारण अध्यक्ष महोदय के निदेशानुसार सदस्य (नदी प्रबंध), महोदय ने बैठक की अध्यक्षता की।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से संयुक्त सचिव महोदय ने सर्वप्रथम बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और बताया कि इस तिमाही में केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) में धारा 3(3) तथा नियम-5 का पूर्णत: अनुपालन किया गया है और हिंदी टिप्पण में भी निरंतर बढ़ोत्तरी हो रही है। राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु अनुभागों का निरीक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन कर अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रेरित किया गया। उन्होंने यह भी बताया कि संसदीय राजभाषा समिति द्वारा दिनांक 20.08.2020 को केन्द्रीय जल आयोग (मुख्यालय) का निरीक्षण किया गया। संसदीय राजभाषा समिति ने केन्द्रीय जल आयोग में राजभाषा कार्यान्वयन के संबंध में किए जा रहे कार्यों तथा प्रयासों पर संतोष व्यक्त किया तथा संयोजक महोदया ने आयोग द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए उल्लेख किया कि धारा 3(3) तथा राजभाषा नियम 5 का पूर्णतः अनुपालन किया जा रहा है, जो अत्यंत प्रशंसनीय एवं सराहनीय हैं।

संयुक्त सचिव महोदय ने पुनः उल्लेख किया कि आयोग में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन में सार्थक प्रगति हुई है और आगे भी इसमें निरंतर वृद्धि करने का प्रयास किया जा रहा है। तत्पश्चात, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उपनिदेशक (रा.भा.) ने मदवार कार्रवाई शुरू की।

सदस्य सचिव ने समिति के सदस्यों को बताया कि दिनांक 29.06.2020 को आयोजित की गई पिछली बैठक का कार्यवृत्त परिचालित कर दिया गया था। इस संबंध में इस पर कहीं से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई। अत: कार्यवृत्त की पुष्टि की जा सकती है। समिति के सदस्यों की सहमति से कार्यवृत्त की पुष्टि मान ली गई। इसके बाद, सदस्य सचिव ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई से सभी को अवगत करवाया और मद-वार चर्चा शुरू की।

समिति के उपस्थित सदस्यों की सूची अनुबंध 'क' पर संलग्न है।

उक्त बैठक में विचार-विमर्श के पश्चात लिए गए निर्णय निम्नानुसार हैः-

1. केंद्रीय जल आयोग के क्षेत्रीय कार्यालयों के 10 कनिष्ठ हिंदी अनुवादकों के रिक्त पदों के रिवाइवल/सृजन करने संबंधी की गई कार्रवाई पर चर्चा के दौरान, यह सूचित किया गया कि मंत्रालय द्वारा पुनः इस फाइल पर कुछ स्पष्टीकरण मांगा गया था, जिसे स्थापना-7 अनुभाग ने दिनांक 23.09.2020 को मंत्रालय को भेज दिया है।

(कार्रवाईः स्थापना-7 अनुभाग)

2. क्षेत्रीय कार्यालयों की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान, उप निदेशक (रा.भा.) ने बताया कि चंडीगढ़ कार्यालय के मूल पत्राचार में आई लगातार कमी का विश्लेषण कर उसे दूर करने हेतु मुख्य अभियंता चंडीगढ़ को संयुक्त सचिव स्तर से अर्ध-शासकीय पत्र तथा उप निदेशक (रा.भा.) स्तर से अनुस्मारक भेजा गया था। इसी प्रकार पटना, गांधीनगर तथा हैदराबाद कार्यालयों द्वारा राजभाषा नियमों के उल्लंघन किए जाने के संबंध में पत्र भेजे गए थे। परंतु इन पत्रों के कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय ने इस पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि इन कार्यालयों को पुनः पत्र भेज कर उचित कार्रवाई करने तथा तदनुसार सूचित करने का निदेश दिया जाय।

(कार्रवाईः हिंदी अनुभाग/संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय)

3. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य मदों पर चर्चा करते हुए संयुक्त सचिव महोदय ने बताया कि संसदीय राजभाषा समिति के निरीक्षण के दौरान अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग द्वारा समिति को कुछ आश्वासन दिये गए हैं, जिनमें से एक आश्वासन यह भी है कि उप-सचिव से ऊपर के स्तर के अधिकारियों द्वारा शत प्रतिशत कार्य हिंदी में ही किया जाएगा। कुछ अन्य आश्वासन इस प्रकार है:-

i. 'क' तथा 'ख' क्षेत्र के केंद्र एवं राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासकों से मूल पत्राचार हिंदी में किया जाएगा तथा

उनसे कोई पत्र अंग्रेजी में भी आए तो उसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा।

ii. सभी प्रशिक्षण सामग्री द्विभाषी की जाएगी।

iii. कार्यालय द्वारा हिंदी पत्राचार का प्रतिशत बढ़ा कर निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा।

उप निदेशक (रा.भा.) महोदया ने समिति को दिये गए सभी आश्वासनों की सूची को पढ़कर सुनाया तथा यह भी बताया कि इन आश्वासनों को केंद्रीय जल आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।

(कार्रवाई: हिंदी अनुभाग)

4. उच्चाधिकारियों द्वारा कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने में आनेवाली समस्याओं पर चर्चा करते हुए समिति को बताया गया कि हिंदी अनुभाग के अधिकारियों ने एसएमडी के कर्मचारियों के साथ मिलकर सभी अधिकारियों को कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने हेतु उपलब्ध सुविधा की जानकारी दी। कंप्यूटर पर हिंदी में आसानी से काम करने के लिए सभी सदस्यों को राजभाषा विभाग द्वारा विकसित ई-टूल्स के बारे में बताया गया तथा इन सभी ई-टूल्स में वॉइस टाइपिंग (श्रुतलेखन-हिंदी स्पीच से हिंदी टेक्स्ट) के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। इस पर यह भी बताया गया कि फिलहाल ऐसी कोई भी सुविधा केंद्रीय जल आयोग में उपलब्ध नहीं है। तथापि,इस सुविधा के उपलब्ध होने पर सभी अधिकारी कंप्यूटर पर बिना किसी की सहायता के हिंदी में काम कर सकते हैं। अध्यक्ष महोदय ने इस का संज्ञान लिया और बताया कि यह एक उपयोगी उपकरण है, जिसको खरीदा

जा सकता है। उन्होंने एसएमडी निदेशालय को निदेश दिया कि वे इस उपकरण की खरीद संबंधी कार्रवाई करें और सभी उप-सचिव व उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों को उपलब्ध कराएं। ताकि राजभाषा विभाग द्‌वारा निर्धारित लक्ष्य और संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों को पूरा किया जा सके।

(कार्रवाईः एसएमडी निदेशालय / हिंदी अनुभाग)

अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ ही बैठक सम्पन्न हुई।

अनुबंध - 'क'

सदस्य, नदी प्रबंध, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 29 सितंबर, 2020 को अपराहन 03.00 बजे आयोजित 141वीं बैठक में उपस्थित सदस्यों की सूची:-

क्र. सं.	नाम एवं पदनाम सर्वश्री / श्रीमती / कुमारी	
1.	श्री आर.के.सिन्हा, सदस्य, नदी प्रबंध, के.ज.आ.	अध्यक्ष
2.	श्री आर.के. गुप्ता, सदस्य, अभिकल्प एवं अनुसंधान के.ज.आ.	सदस्य
3.	श्री मोती लाल, संयुक्त सचिव, के.ज.आ.	सदस्य
4.	श्री निरंजन बर, निदेशक, अभिकल्प एवं अनुसंधान (समन्वय), के.ज.आ.	सदस्य
5.	श्री एस.के. राजन, निदेशक, तकनीकी समन्वय निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
6.	श्री अनंत कुमार गुप्ता, निदेशक, जल आयोजना एवं परियोजना, के.ज.आ.	सदस्य
7.	श्री राजीव सिंघल, निदेशक, एसएमडी, निदेशालय, के.ज.आ.	सदस्य
8.	श्री दीपक कुमार, निदेशक, नदी प्रबंध समन्वय निदेशा., के.ज.आ.	सदस्य
9	श्री राहुल रणवीर सिंह, निदेशक (प्रशासन) ,मानव संसाधन प्रबंध, के.ज.आ.	सदस्य
10.	श्री शिशिर कुमार नंदा, निदेशक (स्थापना-1), केन्द्रीय जल आयोग	सदस्य
11.	श्री राजीव कुमार शर्मा, उप निदेशक, अभि.एवं अनुसंधान सम. निदे. के.ज.आ.	सदस्य
12.	श्री रवि नाथ सिंह, उप निदेशक, जल आयो.एवं परियो. स्कंध, के.ज.आ.	सदस्य
13	श्री अंजनी कुमार मिश्रा, उपनिदेशक, पीसीपी, के.ज.आ.	सदस्य
14.	श्रीमती रजिन्दर पाल, उप निदेशक (रा.भा.), के.ज.आ.	सदस्य सचिव
	अन्य सदस्य	
1.	श्री विनय कुमार मिश्र, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी अनुभाग, .	हिंदी अनुभाग
3.	श्रीमती इंद्रा एस, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी अनुभाग, के.ज.आ.	हिंदी अनुभाग
4.	सुश्री रोली श्रीवास्तव, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी,हिंदी अनुभाग, के.ज.आ.	हिंदी अनुभाग
5.	श्री पुनीत पाण्डेय, कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी, हिंदी अनुभाग, के.ज.आ.	हिंदी अनुभाग